

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में पदाविहित/पदनामित श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक प्रशिक्षण का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री अतुल चन्द्र लाल, उपाधीक्षक को लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में पदाविहित/पदनामित किया जाता है।

2. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में पदाविहित/पदनामित श्री अशोक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी कार्य करेंगे।

3. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे।  
इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं0 सं0-टी-1/स्था0-(5) मु0-172/2005-.....1948...../पटना, दिनांक- 18-09-2019.

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव /सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, पटना/लोकायुक्त पटना/अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग/ संबंधित पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।